कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

दिनांक – 18 सितम्बर, 2010

कार्यालय आदेश

उ0 प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग–11 के पत्रांक **सं0 5125/15–11–8674 ए (45)/85 दिनांक 10 जुलाई, 1986 एवं** निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक– **डिग्री अर्थ--1--7246–51/2010–11 दिनांक 13.08.2010 के आलोक में** माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार अनुदानित महाविद्यालयों में छात्र निधियों का रख–रखाव एवं उपयोग हेतु खातो का संचालन अधोलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा।

(1) निम्नलिखित शुल्क जिन महाविद्यालयों में लिया जाता है छात्र निधियॉ मानी जायेगी और प्राचार्य के नियंत्रण में रहेगीः–

1. क्रीड़ा शुल्क।
2. पत्रिका शुल्क।
3. परिचय पत्र शुल्क।
4. अध्ययन कक्ष शुल्क।
5. वार्षिक दिवस शुल्क।
6. परिषद शुल्क।
7. छात्र संघ शुल्क।
8. प्राथमिक चिकित्सा शुल्क।
9. निर्धन छात्र कोष।
10. काशनमनी।
11. अन्य कोई शुल्क जो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा छात्र निधि घोषित किया जाये।

(2) निम्नलिखित शुल्क छात्र निधियां नहीं मानी जायेगी किन्तु प्राचार्य एवं प्रबंधक दोनो के सम्मिलित नियंत्रण में होंगी।

1. छात्रावास शुल्क।
2. गर्म सर्द शुल्क (पंखा शुल्क)।
3. विकास शुल्क।
4. प्रास्पेक्टस शुल्क।
5. छात्र पंजीकरण शुल्क।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क।
7. गृह परीक्षा शुल्क।

(3) विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति–अनुदान छात्र निधि नहीं है। किन्तु उनके लेखे का रख रखाव, इन निधियों का संचालन एवं वितरण का पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा।

कृपया उक्त के अनुसार महाविद्यालय के खातों का संचालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/560/2010 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्राचार्य, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18.09.10
(आई0पी0झा)
कुलसचिव